उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-1
(नियोजन विभाग)
संख्याः 1/1(2)/35-आ-1/92-226
लखनऊः दिनाँकः 03 नवम्बर, 2003

अधिसूचना
विविध

राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बंधित समसंख्यक अधिसूचना दिनाँक 28 जनवरी, 2003 में राज्य योजना आयोग के सदस्यों के रूप में अनुमेलित गैर-सरकारी सदस्यों की सदस्यता तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव, नियोजन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
2-राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य गण।
3-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन1
4-समस्त विभागाध्यक्ष।
5-समस्त मण्डलायुक्त।
6-समस्त जिलाधिकारी।
7-सचिवालय प्रशासन (लेखा) उत्तर प्रदेश शासन।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
9-नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
10-स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
11-निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव, नियोजन